7584/6/1/14, 7689/10.1.14

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या– 366 /2013–14

कौशल्या देवी बनाम बिहार सरकार एवं मनोज कुमार सिंह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। विदित होता है कि आवेदिका के द्वारा दिनांक 29.08.2013 को दाखिल वाद पत्र जो शपथ पत्र से समर्थित है पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् दिनांक 29.08.2013 को वाद पत्र को प्रतिग्रहित किया गया, तत्पश्चात् विपक्षी को दिनांक 04.09.2013 को सुचना निर्गत किया गया तथा दिनांक 13.09.2013 को विपक्षी सं0– 02 अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए, एवं विपक्षी सं0– 01 के ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए, विपक्षी सं0– 02 की ओर से दिनांक 13.11.2013 को प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया। आवेदिका ने अपने आवेदन में वाद पत्र के मद नं0– 01 के सम्पति के लिए अपने परिवार के अधिकार का प्रख्यापन तथा विपक्षी सं0– 02 को विवादित सम्पति में हस्तक्षेप करने से रोक लगाने हेतु और यदि कोई निर्माण कार्य द्वितीय पक्ष के द्वारा किया गया पाया जाये वैसी परिस्थिति में निर्माण कार्य को हटाने और वादी को दखल कब्जा बहाल करने की अनुतोष प्रदान करने का मांग किया है। आवेदिका का कथन है कि नौखे लाल चौधरी जो आवेदिका के ससुर थे अपने पीछे तीन पुत्र दयाराम चौधरी (जो आवेदिका के पति थे) सियाराम चौधरी एवं राम विलास चौधरी को छोड़कर मरे। नौखे लाल चौधरी गाँव अम्माडीह चौड़ से ग्राम जोरजा चले आये और मजदुरी करते हुए वहाँ स्थायी रूप से बस गये। भूतपूर्व जमींदार द्वारा पुराना खेसरा नं0– 2495 जो वकास्त जमीन था भूतपूर्व मालिक ने 05 धुर रकवा दे दिया तथा एक कट्ठा चौदह धुर रकवा पुराना खेसरा नं0– 2502 दक्षिण से नौखे लाल चौधरी को मिला जिसपर वे अपना आवासीय मकान बनाये, तथा अपने परिवार के साथ रहने लगे। नया सर्वे की कार्रवाई 1970–71 में प्रारम्भ हुआ और तबतक नौखे लाल चौधरी मर चुके थे। उनके तीनों पुत्र जो अपनढ़ थे और अपने रोजी रोजगार के सिलसिले में कलकत्ता चले गये थे,	

25/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	राम सागर सिंह जो विपक्षी के चाचा हैं नया सर्वे खेसरा नं0– 3952 रकवा 08 डीसमल 3953 रकवा 03 डीसमल मी0 3954 रकवा 02 डी0 3955 रकवा 01 डी0 दो कट्ठा चार धुर जमीन से कायम हुआ तथा राम सागर सिंह ने नया खेसरा नं0– 3953 के संबंध में अपना और अपने भाई के नाम से खाता नं0– 1572 खुलवा लिया। तथा खेसरा नं0– 3952, 3954, 3955 अनाबाद बिहार सरकार के नाम खुला तथा नोखे लाल चौधरी के नाम खाता नं0– 2093 कायम हुआ, जबकि सही बात यह है कि नया खेसरा नं0– 3953, 3954, नौखे लाल चौधरी के आवासीय मकान का हिस्सा है। आवेदिका का यह भी कथन है कि आवेदिका को विवादित सम्पति का पर्चा B.P.P.H.T. Act के अन्तर्गत आवेदिका के पति एवं उनके भाईयों के नाम मिला तथा उस समय में फार्म G उपलब्ध नहीं रहने के करण सादे कागज पर जमीन का विवरण व अंचल अधिकारी बहेड़ी के हस्ताक्षर एवं मुहर से पर्चा मिला। विपक्षी द्वितीय पक्ष को आवेदिका के परिवार को जो पर्चा से जमीन प्राप्त हुआ है के संबंध में gridy eye था और उन्होनें सम्पति पर झुठा दावा करना शुरू कर दिया इसलिए आवेदिका ने दिनांक 06.08.2013 को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के यहाँ आवेदन दिया, जिसपर अनुमण्डल पदाधिकारी सदर ने बहेड़ी थाना से प्रतिवेदन की माँग की परन्तु बहेड़ी पुलिस ने विपक्षी द्वितीय के मेल में आकर कोई प्रतिवेदन नहीं सौंपा, विपक्षी द्वितीय पक्ष स्थल पर जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं आवेदिका ने इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दी आवेदिका का कथन है कि विपक्षी द्वितीय पक्ष आवेदिका को मद नं0– 01 वाद पत्र की सम्पति के निस्वत अधिकार का प्राख्यापन किया जाय एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष को मद नं0– 01 कि सम्पति पर मोकदमा के दौरान निर्माण कार्य से रोक लगाया जाय यदि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को विवादित सम्पति पर निर्माण पाया जाये तो उसे विवादित सम्पति से हटाया जाय। प्रतिवादी प्रथम पक्ष बिहार सरकार की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनका कथन है कि अंचल अधिकारी बहेड़ी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवादी द्वारा दिया गया पर्चा जो दयाराम, सियाराम वो राम विलास के नाम से है उसका अंचल कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं है	

25/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	तथा जमाबन्दी नं0– 107 भी पंजी– II में दयाराम, सियाराम वो राम स्वरूप चौधरी के नाम से नहीं चल रही है, अतः B.P.P.H.T. Act का पर्चा एवं मालगुजारी रसीद कि पावन्दी सरकार पर नहीं है। सरकारी सहायक अधिवक्ता का यह भी कथन है कि गैर मजरूआ जमीन के संबंध में B.P.P.H.T Act का पर्चा कानूनन निर्गत नहीं किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किये तथा उनका कथन है कि यह मुकदमा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत चलने लायक नहीं है। इनका यह भी कहना है कि यह बात निराधार है कि नोखे चौधरी ने पुराना खेसरा नं0– 2495 एवं 2502 पर अपना मकान निर्माण, किया बल्कि उनका यह कथन है कि मौजे जोरजा में 1971–72 ई0 सर्वे कि कार्रवाई प्रारम्भ हुई तथा भूतपूर्व मालिक ने पुराना खेसरा 2502 को बन्दोवस्त प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम किया तथा उस पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वजों ने बैठका का निर्माण किया तथा नया सर्वे में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के परिवार का दखल–कब्जा पाते हुए पुराना खेसरा नं0– 2502 का रकवा 15 धुर से नया खेसरा 3953 खाता 1572 रकवा 03 डिसमील मकान मय सहन राम सागर सिंह वगैरह के नाम खुला तथा खतियान का अंतिम प्रकाशन 2006 ई0 में हुआ। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अपने बैठका को हटाकर पक्का मकान का निर्माण बहुत दिनों से कर रहें हैं तथा निर्माण कार्य लिन्टर स्तर तक पुरा हो चुका है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का यह भी कथन है कि दयाराम चौधरी ने विविध वाद सं0– 01/72–73 प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वज के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बहेड़ी के यहाँ दाखिल किया था जो खारिज हो गया। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का विवादी सम्पति पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है। वादी गलत आधार पर अपना दावा कर रही है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में B.P.P.H.T. Act की पर्चा, मालगुजारी रसीद दाखिल किये जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के ओर से 144 द0 प्र0 स0 की	

25/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	कार्रवाई कि पुलिस प्रतिवेदन, नया खतियान खाता 1572 खेसरा 3953 का छायाप्रति वाद सं0– 01/72–73 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बहेड़ी के आदेशफलक का फोटोकॉपी केवाला दिनांक 08.07.2013 जो राज कुमार सिंह वो अनील कुमार सिंह वो संतोष कुमार सिंह ने मनोज कुमार सिंह को लिखा है का फाटो कॉपी, दाखिल खारिज वाद संख्या– 741/13–14 अंचल अधिकारी के ओदश फलक का छायाप्रति, मालगुजारी रसीद जमाबन्दी सं0– 1410 की फोटोप्रति तथा अंचल अधिकारी बहेड़ी के द्वारा अर्जुन कुमार चौधरी पे0– राम टहल चौधरी सा0– जोरजा का जन शिकायत आवेदन पर अंचल अधिकारी बहेड़ी द्वारा किये गये जॉच प्रतिवेदन का फोटो कॉपी दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के बहस एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के गहन अनुशीलन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि विवादित सम्पति नया खेसरा 3953 के संबंध में आवेदिका द्वारा जो साक्ष्य दी गयी है वह संदेहास्पद है तथा अंचल अधिकारी बहेड़ी के द्वारा सुनवाई के दौरान आवेदिका के दस्तावेजों की जॉच के लिए पंजी– II न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तद्नुसार आवेदिका का कोई भी दस्तावेज अंचल अभिलेख में दर्ज नहीं होना विदित होता है, तथा विपक्षी द्वितीय पक्ष का खतियान जिसका प्रकाशन 2006 ई0 में हो चुका है तथा खतियान के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपति कभी भी आवेदिका द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। साथ हीं विपक्षी द्वितीय पक्ष सरकार को मालगुजारी भी अदाय कर रहें हैं। अतः आवेदिका विवादित सम्पति के निस्वत किसी प्रकार का अपना अधिकार साबित करने में असफल रही है, फलतः वाद पत्र में माँगी गई अनुतोष की अधिकारी आवेदिका प्रतित नहीं हो रही है। अतः वादनी का वाद खारिज किया जाता हैं। **लेखापित एव शुद्धित** 25/01/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 25/01/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	